भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 567

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

संचार, प्रसारण और डिजिटल जागरूकता के क्षेत्र में उपलब्धियॉ

567. श्री गणेश सिंहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से अब तक संचार, प्रसारण और डिजिटल जागरूकता के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उपलब्धियों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के अधिकार और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने में कोई ठोस प्रभाव डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने नवीगेट भारत, प्रेस सेवा पोर्टल और ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट सिस्टम जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके मीडिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): वर्ष 2014 से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देशभर में प्रसारण, सार्वजनिक पहुंच और डिजिटल शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी पहलों को लागू किया है।

इन सुधारों ने जन सहभागिता और भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में इनके संभावित अनुप्रयोग हैं। इससे सूचना की पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित हुई है।

इन प्रमुख पहलों का विवरण, उनके प्रभाव और परिणाम निम्नानुसार हैं:

i. **नेवीगेट भारत पोर्टल**: नेवीगेट भारत एक एकीकृत वीडियो पोर्टल है जो एक सिंगल इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पर भारत सरकार के 1000 से ज़्यादा वीडियो तक पहुंच प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को सुगमतापूर्वक वीडियो खोजने, स्ट्रीम करने, डाउनलोड करने और साझा करने की सुविधा देता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और आधिकारिक सामग्री तक आसान पहुंच सुनिश्चित होती है।

ii. **प्रेस सेवा पोर्टल:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे संशोधित प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 के तहत कार्यान्वित किया गया है। यह पारदर्शी सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियतकालिक पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के पंजीकरण को सरल बनाता है जिससे शासकीय बाधाएं कम होती है और समयबद्ध प्रोसेसिंग सुनिश्चित होती है।

iii. **ट्रांसपैरेंट एम्पैनलमेंट सिस्टम:** केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने एक संपूर्ण डिजिटल एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) मॉड्यूल लागू किया है। इसके तहत, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

iv. **वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म:** प्रसार भारती द्वारा 2024 में आरंभ किया गया वेव्स एक बहु-श्रेणी डिजिटल स्ट्रीमिंग एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म है जो इन्फोटेनमेंट सामग्री प्रदान करता है। यह सूचना, शिक्षा और संस्कृति को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

v. **डीडी फ्री डिश:** देश की एकमात्र फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा के रूप में, डीडी फ्री डिश बिना किसी सदस्यता शुल्क के कई टेलीविजन चैनल प्रदान करता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शकों सहित भारतीय दर्शकों को सेवा प्रदान करके, यह समाचार, सूचना और शैक्षिक कार्यक्रमों तक व्यापक पहुंच में योगदान देता है।

vi. **सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस):** जुलाई 2024 में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन के शुभारंभ ने जमीनी स्तर पर प्रसारण और स्थानीय भागीदारी को समर्थन देने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। स्वीकृत सीआरएस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014 के 179 स्टेशनों से बढ़कर वर्तमान में 540 हो गई है।

vii. **प्राइवेट एफएम का विस्तार:** प्राइवेट एफएम रेडियो के विस्तार के तीसरे चरण के तहत, सरकार ने 234 शहरों में 730 एफएम चैनलों की नीलामी की है। इससे स्थानीय रेडियो के विकास, रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा और आय तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिली है।

viii. **फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू):** पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत स्थापित एफसीयू, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भारत सरकार से संबंधित मामलों से जुड़ी गलत सूचनाओं का खंडन करती है। एफसीयू ने ऑपरेशन सिंदूर और कोविड-19 महामारी के दौरान अग्र सक्रिय भूमिका निभाई है।

****